संख्या: 3/2016/ 565 /12-2-2016-बजट.4/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2016

विषय: नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (एनसीआईपी) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:एस-कैम्प-521/लेखा/पुनर्विनियोग/2015-16 दिनांक 25 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (एनसीआईपी) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रूपये 62.99 करोड (रूपये बासठ करोड निन्यानबे लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से (फार्म बीएम-9 भाग-1 संलग्न) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय इसी वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त योजना के लिए ही किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों व निर्धारित प्रक्रिया का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड-लाईन्स के अनुसार धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान के अन्तर्गत मानक मद-25-सब्सिडी, लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-प्रदेश में संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी, लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-103-भूमि सुधार तथा विकास-06-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मानक मद-27-सब्सिडी में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से आहरित कर व्यय की जायेगी।

4. उक्त धनराशि का व्यय वित्त वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या:ई-1-108/दस-2016 दिनांक 10 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

संख्या: 3/2016/ 565 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को बी0एम0-09 की 03 प्रतियों सहित।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ:बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि
प्रपत्र बीएम-9

वित्तीय वर्ष 2015-16

धनराशि (हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4	5
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत				
103-बीज				
04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान				
27-सब्सिडी	814400	200000	200000	200000
2401001030400				
योग	**814400**	**200000**	**200000**	-
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत				
103- बीज				
05-प्रदेश में संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना				
27-सब्सिडी	500000	350000	350000	350000
2401001030500				
योग:	**500000**	**350000**	**350000**	-
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत				
107-सनस्पति संरक्षण				
04-विभिन्न पारस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना				
27-सब्सिडी	241300	30000	30000	30000
2401001070400				
योग:	**241300**	**30000**	**30000**	-
2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत				
103-भूमि सुधार तथा विकास				
06-मृदा के सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना				
27-सब्सिडी	100000	75000	75000	49900
योग:	**100000**	**75000**	**75000**	
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत				
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण				
01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें				
0101-नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नालॉजी				
07-मानदेय	300000	299200	255255	
27-सब्सिडी	739669	245245	245245	
2401001090101				
योग	**1039669**	**544445**	**500500**	
महायोग:	**2695369**	**1199445**	**1155500**	629900
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा
लेखाशीर्षक (13 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण की धनराशि
7	8	9	(9-8) 10	11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत				
110-फसल बीमा				
01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें				
0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम				
27-सब्सिडी	1800000	2955500	1155500	629900
2401001100102				
योग:	**1800000**	**2955500**	**1155500**	629900

(1) स्तम्भ-03 में उपलब्ध बचत का कारण मद में मांग न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ-08 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय मानक मद में प्राविधान न होने के कारण हो रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या: 490/ई-1-दस-2016, दिनांक 09

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथ
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर----------

हस्ताक्षर----------

नाम व पदनाम- इन्द्रदेव पटेल, विशेष सचिव।

नाम व पदनाम- (अविनाश चन्द्र द्विवेदी), संयुक्त सचिव,
प्रशासकीय विभाग- कृषि विभाग।
वित्त विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।